

जिला स्थापना शाखा

जिलाधिकारी एवं समाहर्ता

संख्या-3ए-5-से0नि0-10/2008/.....

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) पटना, दिनांक.....

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

R.R.M
469
28-10

प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा सेवा संहिता 1952 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

बिहार सेवा (संशोधन) संहिता 2009

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(i) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता 2009 कहा जा सकेगा।

(ii) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम-73 उप नियम (i) के वर्तमान परंतुकों के बाद तृतीय परंतुक निम्न रूपेण जोड़ा जाएगा।

परन्तु और यह, कि दंत चिकित्सा सेवा के चिकित्सा शिक्षक/पदाधिकारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हस्ताक्षर

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-3ए-5-से0नि0-10/2008/.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-3ए-5-से0नि0-10/2008/.....

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.10.09
(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन)